न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2023/15

1. भीमराज आत्मज धूलीलाल जाति धाकड़ निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. बृजराज आत्मज हरिनारायण जाति धाकड़ निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. धनराज आत्मज हरिनारायण जाति धाकड़ निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. लड्डू विधवा पत्नी हरिनारायण जाति धाकड़ निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
5. दुर्गाशंकर आत्मज रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
6. द्वारका पुत्र भीमराज जाति धाकड़ निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. कान्ती विधवा पत्नी रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
8. सुरेश आत्मज रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी ग्राम आटोन तहसील अटरू जिला बारां।
9. दिलखुश पत्नी भवानी शंकर पुत्री रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी ग्राम आटोन तहसील अटरू जिला बारां।
10. गिरजा पत्नी प्रमोद नागर पुत्र रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी हापाखेड़ी तहसील अन्ता जिला बारां।
11. सुशीला पत्नी गणपत पुत्री हरिनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम लटूरी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

——अपीलान्टगण

बनाम

1. गुलाब बाई विधवा पत्नी रामप्रताप जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. अयोध्या बाई विधवा पत्नी पूरण मल जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. जय सिंह आत्मज पूरण मल जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. अजय सिंह आत्मज पूरण मल जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
5. केमल पुत्री पूरण मल जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
6. आजाद पुत्री पूरण मल जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. भरत सिंह आत्मज रामप्रताप जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।

8. जसवन्त पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
9. महेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
10. पदम पुत्र रामप्रताप जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
11. रूकमणी पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
12. सुगना पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
13. जानकी पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
14. सम्पत पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।
15. तस्वीर पुत्री रामप्रताप जाति नायक निवासी ग्राम चरेल तहसील सांगोद जिला कोटा।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री जगदीश खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 01 से 15 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 04.10.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 12/1997 पारित निर्णय दिनांक 26.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के कब्जे काश्त की ग्राम चरेल में ख.नं. 284 की 11 बिस्वा ख.नं 285 को 11 बीघा 17 बिस्वा व ख0नं 201 /510 की 14 बिरवा भूमि स्थित है, जिसमें इस वर्ष भी वादी ने ज्वार की फसल बोई है जो इस समय खड़ी हुई है। उक्त खसरा नं० पर वादी के पूर्वजों से ही कब्जा कारत चली आ रही है, लेकिन प्रतिवादीगण उक्त खसरा नं० की भूमि अपने कब्जे में लेने तथा काश्त करने पर उतारू रहते हैं और प्रयत्न किया करते है। दिनांक 14.10.85 को सुबह समस्त प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काशी की भूमि खसरा नम्बर 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर एक राय होकर मदाखलत मजाहमत करने के उद्देश्य से आये तथा प्रतिवादीगण ने वादी की ही फसल ज्वार को नष्ट करने पर उतारू हो गये। वादी ने प्रतिवादीगण को बड़ी मुश्किल से रोका है तथा प्रतिवादीगण ने अपनी तरफ से एक रखवाला भी ज्वार की देखरेख हेतु रख दिया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ज्वार की फसल को काटने पर उतारू है। वादी के कब्जे की काश्त को भूमि पर ज्वार की फसल को प्रतिवादीगण द्वारा काट ली गई तो वादी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं हो सकेंगी तथा मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में खड़ी ज्वार की फसल को प्रतिवादीगण किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाये इसलिए

वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वादी सक्षम न्यायालय से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें. इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा है, क्योंकि प्रतिवादीगण लट्ठ के जोर पर फसल को काटने पर उतारू है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वादी के कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा व ख.न. 201/510 की 14 बिस्वा की भूमि में प्रतिवादीगण न तो स्वयं मदाखलत मजाहमत करे और न ही अपने किसी ऐजेन्ट से ऐसा करावे। प्रतिवादीगण वादी के शांतिपूर्वक काश्त की ज्वार को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचावे और प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादी के पक्ष में यह भी डिकी फरमाई जाये कि अगर इस दौरान दावा ज्वार की फसल को किसी प्रकार के प्रतिवादीगण द्वारा नष्ट कर दिया जावे तो उसका समस्त मुआवजा प्रतिवादीगण से दिलवाया जाये।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.2022 के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि ग्राम चरेल की खसरा नम्बर 285 की 11 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 201/510 की 14 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया साथ ही तहसीलदार सांगोद को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त विवादित भूमि को रिसीवरी से मुक्त किया जाकर रिसीवरी की सम्पूर्ण राशि वादीगण को दी जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंकर चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। तदनुसार डिकी जारी की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.12.2022 से व्यथित होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.12.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.12.2022 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया तथा अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित ग्राम चरेल तहसील सांगोद की खसरा नम्बर 285 की रकबा 11 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 09.06.1973 से तत्कालीन खातेदार नन्दा जी ने रामेश्वर, दुर्गाशंकर, द्वारकीलाल एवं बृजराज को विकय की थी तथा कब्जा भी संभला दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विकय–पत्र की फोटो कॉपी तो पेश कर दी थी परन्तु असल दस्तावेज पेश नहीं किया था। न्यायहित में अपीलांट असल दस्तावेज को पेश करना चाहता है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न पंजीकृत विकय–पत्र को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर–2 जिस प्रकार से लिखी है, अस्वीकार है। इस मद में वर्णित पेश तथाकथित दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक–9–6–1973 वाद के विवाद से असम्बन्धित व अपील की विषय वस्तु से असम्बन्धित दस्तावेज है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहे वादीगण के वाद के जवाब दावे में प्रतिवादीगण अपीलाण्टगण द्वारा अपने पेश जवाब दावे में जिस तथाकथित विक्रय–पत्र दस्तावेज का वर्णन किया है, उसकी तारीख दिनांक 9–7–1963 वर्णित की गयी हुई है और इसी सम्बंध में सम्माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर – 2 भी प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में वर्णित तथाकथित रजिस्टर्ड विक्रय वाला दस्तावेज दिनांक–9–7–1963 द्वारा वर्णित करने से इस तनकी नम्बर–2 में रजिस्टर्ड विक्रय अनुसार सन 1963 वाले किसी तथाकथित दस्तावेज का ही वर्णन किया गया हुआ रहा है। इस कारण से इस असम्बन्धित दस्तावेज दिनांक–9–6–1973 को अपीलाण्टगण को इस अपनी विचाराधीन अपील में पेश करने का कोई अधिकार नही हो सकता। अपीलाण्टगण द्वारा पेश किये जानें की अनुमति चाहने वाला यह असम्बन्धित दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक–9–6–1973 वाद के विवाद वाले विक्रय–पत्र दिनांक–9–7–1963 से असम्बन्धित है, जिसे पेश करने की अनुमति उक्तानुसार कानूनन प्रदान किया जाना न तो वाजिब है और न न्यायोचित है। वैसे भी प्रतिवादीगण अपीलाण्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब दावे आदि में कही भी इस अपील में पेश चाहने वाले दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक–9–6–1973 के बाबत कही भी अपने अभिवचनो में वर्णन तक नही किया गया होने से, अब इस दस्तावेज को अपीलाण्टगण प्रतिवादीगण को इस अपील में पेश करने का कोई अधिकार नही हो सकता है। प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर–3 जिस प्रकार से लिखी है, अस्वीकार है। अपीलाण्टगण द्वारा इस मद में यह कथन कि उक्त विक्रय पत्र की फोटो कॉपी तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी थी, किन्तु असल दस्तावेज पेश नहीं किया गया था, इस सम्बंध में कथन है कि अपीलाण्टगण द्वारा इस मद में उक्त प्रकार से कहे गये कथन के सम्बंध में यह कही भी स्पष्ट नही किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में इस वर्णित असल दस्तावेज को प्रतिवादीगण द्वारा क्यों, व किस कारण से पेश तब्ब नही किया गया था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि यह पेश करने की अनुमति चाहने वाला दस्तावेज दिनांक–9–6–1973 सर्वथा संदिग्ध व बनावटी मात्र दस्तावेज है, जिसे इसी कारण से प्रतिवादीगण अपीलाण्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही किया गया था। यहां यह कथन कहना उचित है कि अपीलाण्टगण द्वारा अपने इस सम्पूर्ण प्रार्थना–पत्र में यह कही भी स्पष्ट करते हुऐ कथन वर्णित नही किये गये कि इतनी अवधि गुजर जाने के बाद यह वर्णित दस्तावेज दिनांक–9–6–1973 अपीलाण्टगण को कहां से, कैसे, व कब प्राप्त हुआ, इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नही दिये जाने के कारण अपीलाण्टगण को इस दस्तावेज को इस सम्माननीय अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का अधिकार नही हो सकता । प्रार्थना–पत्र की मद नम्बर–4 अस्वीकार है। अपीलाण्टगण को संलग्न

प्रार्थना–पत्र दस्तावेज दिनांक–9–6–1973 को अब इतनी देरी अवधि के पश्चात इस सम्माननीय अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्टगण इस दस्तावेज को पेश कर केवल अपना लेकूना फिलअप(कमीपूर्ति) दुर्भावना से करने के प्रयास में है, जिसकी अनुमति कानूनन नहीं दी जानी चाहिए। अन्त में अपीलाण्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का अवलोकन किया। तथा उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया। हमारे मत में अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज असल पंजीकृत विक्रय–पत्र है। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत नहीं है कि प्रश्नगत दस्तावेज पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 09.06.1973 प्रकरण से असम्बंधित दस्तावेज है तथा प्रासंगिक नहीं है। हमारे मत में प्रश्नगत दस्तावेज एक पब्लिक डॉक्यूमैंट है। इस दस्तावेज की फोटोप्रति अधीनस्थ न्यायालय में भी प्रस्तुत हो चुकी थी तथा इसका जिक्र राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 18.07.1987 तथा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में भी है। यह पंजीबद्ध दस्तावेज वर्तमान में भी कानूनन अस्तित्व में है। साथ ही उक्त दस्तावेज का प्रकरण से सुसंगत होना तथा अपील के निस्तारण में सहायक सिद्ध होना स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि विवादगस्त भूमि के खातेदार खेमा जी नायक थे। इन्होने दिनांक 09.06.1963 को 11 बीघा भूमि चार क्रेताओं रामेश्वर, दुर्गाशंकर, द्वारकीलाल व बृजलाल को विक्रय कर दी। नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 30.01.1975 से यह भूमि इनके खाते में दर्ज हो गई। तत्सयम उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के प्रकरण संख्या 191/76 द्वारा वादीगण के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही खारिज की गई। इस प्रकरण में नंदा जी स्वयं पक्षकार थे तथा नंदा के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। इस वाद में वादी रामप्रसाद नंदा का ही लड़का है। वादी ने वाद इतने वर्ष पश्चात 20.10.1985 को प्रस्तुत किया। इस वाद में मिथ्या कथन करते हुए स्वयं का कब्जा–काश्त बताया। हमारे जवाब में अधीनस्थ न्यायालय में बेचान की तारीख दिनांक 09.07.1963 बता दी गई जबकि वास्तव में यह बेचान दिनांक 09.06.1973 को हुआ। दिनांक 09.07.1963 की यह तारीख हमारे द्वारा इसलिए लिखी गई क्योंकि इंतकाल संख्या 57 में यह तारीख 09.07.1963 लिखी गई है। इसलिए यह गलती अधीनस्थ न्यायालय में हुई। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में भी प्रकरण संख्या 106/86 के अपने निर्णय दिनांक 18.07.1987 में तारीख की इस गलती को माना है तथा बेचान की तारीख दिनांक 09.06.1973 ही बताई गई। प्रदर्श–डी.–2 नकल निर्णय प्रकरण संख्या 191/76 धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी से स्पष्ट है कि यह निर्णय अंतिम हो गया। इस निर्णय दिनांक 14.08.1978 की कोई अपील नहीं हुई। प्रदर्श–डी.–1 जो कि जमाबंदी सम्वत् 2041 से 2044

में अंकित नामान्तरकरण संख्या 57 से स्पष्ट है कि भूमि हमारे खाते में आ गई। परन्तु आगे के रिकॉर्ड में भूमि में हमारा नाम अंकन नहीं हुआ, यह हमारी गलती नहीं अपितु राजस्व कार्मिकों की गलती है। राजस्व कार्मिकों को आगे इन्द्राज सही करना चाहिए था। इस सम्बंध में न्यायिक दृष्टांत 1992 आर.आर.डी. पेज 561 उद्धृत किया। अतः हम विवादित भूमि के खातेदार है। इनके तीन गवाह पी.डब्ल्यु.–1, पी.डब्ल्यु.–2, पी.डब्ल्यु.–3 प्रस्तुत किए। पी.डब्ल्यु.–1 प्रताप पुत्र नंदा स्वयं स्वीकार करता है कि यह सही है कि केस नं. 191/76 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी धारा 175 में उक्त बेचान दिनांक 09.07.1963 का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त बेचान की इनको जानकारी थी तथा विवादित भूमि अपीलांटगण प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में थी। पी.डब्ल्यु.–3 रिकॉर्ड के विरूद्ध बयान दिए, जबकि भूमि रिसीवरी में भी अतः इसके बयान विश्वसनीय नहीं है। विवादित भूमि का रिसीवरी में होना तो एक तथ्य है अतः यह रिकॉर्ड व स्थिति के विरूद्ध कथन है। सारांशतः वादी का कोई गवाह विवादित भूमि पर वादी का कब्जा साबित नहीं कर पाया तथा इसके कथनों से वादी का कब्जा साबित नहीं होता। विवादित भूमि की रिसीवरी माननीय न्यायालय द्वारा हमारे प्रार्थना–पत्र पर कायम की गई, अतः तनकी संख्या 1 में अधीनस्थ न्यायालय की यह फाइंडिंग गलत है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर कब्जा साबित करने में असफल रहे। वस्तुतः वादी द्वारा भूमि विकय के पश्चात् से ही कब्जा अपीलांटगण प्रतिवादीगण का रहा है। यह तथ्य है कि कब्जा इन्होने हमे दिया, जब कब्जा इन्होने हमें अपीलांटगण प्रतिवादीगण को दे दिया तो वादी रेस्पोडेन्ट ने कब्जा वापस प्रतिवादीगण अपीलांटगण से कब लिया गया? इन्होने कब्जा कब वापस लिया, यह बात ये सिद्ध करें। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का कब्जा मानने में भारी त्रुटि की है। इनका कब्जा मानने का कोई ठोस आधार व साक्ष्य नहीं है। तनकी संख्या 2 में अधीनस्थ न्यायालय ने पूरा विवेचन व निर्णय दिनांक 09.07.1963 को विकय मानकर किया। जबकि प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.06.1973 की रजिस्ट्री की फोटोप्रति पेश कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.06.1973 के रजिस्टर्ड विकय–पत्र पर कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया जबकि यह रजिस्ट्री आज भी अस्तित्व में है। अपीलांटगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 के तहत महत्वपूर्ण दस्तावेज रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 09.07.1973 प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय को इसी अनुसार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। इसी प्रकार तनकी संख्या 3 भी गलत निर्णित की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकाश में अवधि 30 वर्ष मान ली। अधीनस्थ न्यायालय ने यह समझने में भूल की है। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वर का देहान्त दिनांक 25.10.2011 को हो गया था। वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 के कायम मुकाम की कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि ये सभी एक गांव के है। अपीलांट संख्या 7 से 10 प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वर के ही वारिसान है तथा हमें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। जब हमें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं बनाया गया तो यह प्रश्नगत निर्णय हम पर कैसे लागू होगा? अपीलांट संख्या 7 से 10 प्रतिवादी संख्या 4 को तो सुनवाई का अवसर ही नही मिला। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर प्रेषित की गई थी तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.11.2016 से यह स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 13.02.2017 से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा भी प्रतिवादी कम संख्या 2, 3, 5, 6 की ओर से प्रस्तुत हुआ। यानि मृतक रामेश्वर अथवा उसके

वारिसान का कोई वकालतनामा भी प्रस्तुत नहीं हुआ। यह वादी का क्लेम था कि वह संयुक्त रूप से कय की गई भूमि के सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाता तथा समय पर उनके कायम मुकाम प्रस्तुत करता। वादी को देखना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 4 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं है। वाद चलाने की जिम्मेदारी वादी की होती है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश अकृत(nullity) की श्रेणी में आता है। अतः प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध है तथा nullity की श्रेणी में आता है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है कि हितबद्ध पक्षकारों को सुना तो जाना चाहिए। अतः अपीलांट संख्या 7 से 10 को सुनवाई का अवसर मिलना आवश्यक है। इसी प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के कायम मुकाम नहीं बनाने से इनका पूरा वाद अबेट हो गया क्योंकि विवादित भूमि एक ही रजिस्टर्ड विकय–पत्र से प्रतिवादीगण ने कय की थी। इस सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 2014(1) सी.डी.आर. पेज 69 उद्धृत किया। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं था, अतः न तो इनका वाद पोषणीय है तथा न ही वादी स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा इस सम्बंध में न्यायिक दृष्टांत 1986 आर.आर.डी. पेज 6 तथा 2021(1) आर.आर.टी. पेज 260 को उद्धृत किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून न्याय एवम् तथ्यों के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण अपीलाट के विरूद्ध डिक्री फरमाते हुये दावे के तथ्यों एंवम् अनुतोष के विपरीत वादीगण को प्रतिवादीगण अपीलाट की खरीदशुदा एवम् खाते की ग्राम चरेल तहसील सांगोद की खसरा नम्बर 285 की 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित करते हुये रिसीवर की जमा शुदा राशि वादीगण को दिये जाने के आदेश प्रदान करते में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि वक्त पेश करने दावा वादीगण भूमि के खातेदार टेनेन्ट नहीं थे तथा उनका भूमि पर कब्जा भी नहीं था, वादीगण द्वारा अपने दावे मे खातेदारी हक घोषणा की रिलीफ भी नहीं मांगी गयी थी। राज्य सरकार हक घोषणा के दावे में एक आवश्यक पक्षकार होती है। राज्य सरकार को पक्षकार बनाये बिना एवम् हक घोषणा की रिलीफ मांगे बिना ही वादीगण को खातेदार टेनेन्ट घोषित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रस्तुत प्रकरण के मूल वादी रामप्रताप के पिता श्री नंदा जी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9–6–1973 को खसरा नम्बर 285 की 11 बीघा 17 विस्वा भूमि में से 11 बीघा भूमि श्री रामेश्वर, दुर्गा शंकर द्वारकीलाल एंवम् बृजराज को विक्रय कर सम्पूर्ण 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर कब्जा सम्भला दिया था और प्रतिवादीगण इस भूमि के खातेदार टेनेन्ट होकर काबिज चले आ रहे है। बिना कब्जे की रिलीफ मांगे हक घोषणा का बाद डिक्री नहीं किया जा सकता इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को भूमि का खातेदार घोषित करने बाबत निर्णय एंव डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि पक्षकारान के मध्य न्यायालय एसडीओ रामगंजमण्डी में धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही चली जिसका उनवान सरकार बनाम नन्दा, रामेश्वर आदी व प्रकरण सं0 19/76 था। उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 14–8–1978 को पारित करते हुये कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश दिया गया था। उक्त कार्यवाही में श्री नन्दा जी भी पक्षकार थे। इस प्रकरण में भूमि प्रतिवादीगण अपीलाट का कब्जा माना गया था। उक्त निर्णय की कोई अपील भी नहीं की गयी थी। उक्त निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2021 (1) सीजे (सिविल) 340 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर दोनों पक्षकारान पर काबिल पाबन्दी है तथा

रेसजूडिकेटा का असर रखता है। उक्त निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर भी उपलब्ध है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस निर्णय पर गौर किये बिना ही निर्णय व डिक्री जर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9–7–73 से भूमि पर प्रतिवादीगण को कब्जा दिया गया था तथा वाद पत्र दिनांक 25–10–85 को प्रस्तुत किया गया था अतः यह है कि वाद मियाद बाहर था, किन्तु साक्ष्य व तथ्यों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को अन्दर मियाद मानकर निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि वादीगण की भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो जाने से उनके कानूनन खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये थे और उनके वाद पेश करने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि नामान्तरकरण सं0 57 दिनांक 5–9–85 से भूमि खरीददारान के खाते दर्ज करदी गयी थी तथा वाद पत्र दिनांक 25–10–85 को पेश किया गया है और इस प्रकार वादीगण कानूनन वक्त पेश करने दावा भूमि के खातेदार टेनेन्ट नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि जब श्री नन्दा जी द्वारा रजि0 विक्रय पत्र में प्रतिवादीगण को भूमि दिनांक 9–7–73 का विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया था तो भूमि पर वादीगण ने कब कब्जा वापस प्राप्त किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में भी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना मान कर वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया था, जिससे भी वक्त पेश करने वाद भूमि पर प्रतिवादीगण अपीलान्ट का कब्जा होने की पुष्टि होती है। उक्त भूमि पर रिसीवर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कायम किया गया था क्योंकि वादीगण भूमि पर प्रतिवादी अपीलान्ट की कोई हुई फसल को नष्ट करने गये थे अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय द्वारा रिसीवरी की अपील में दिये गये निर्णय का गलत आशय निकालने में त्रुटि की है। वादीगण का कोई गवाह भूमि पर वादीगण के कब्जे की तस्दीक नहीं करता है और न वादीगण की भूमि पर अपना कब्जा साबित कर सका है। वादीगण का सिर्फ अनुसूचित जाति का सदस्य होने के आधार पर ही उसका भूमि पर कब्जा होना मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के विपरीत रिलीफ प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की तो डिक्री पारित नहीं की किन्तु बिना अनुतोष चाहे वादीगण को खातेदार घोषित करने में त्रुटि की है। दोराने वाद प्रतिवादी नं0 4 श्री रामेश्वर जी का दिनांक 25–10–2011 को देहावसान हो गया था जिसकी सूचना भी अधीनस्थ न्यायालय में दे दी गई थी। किन्तु उनके वारिसान अपीलान्ट नं0 7,8,9 व 10 को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना एंवम् सुनवायी का अवसर दिये बिना ही निर्णय एंव डिक्री जेर अपील पारित कर नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों की अवहेलना की है इस आधार पर भी निर्णय एंवम् डिक्री जेर अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। कानूनन मृतक व्यक्ति के वारिसान को समय पर पक्षकार नहीं बनाने पर दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है तथा उसके बाद न्यायालय को प्रस्तुत प्रकरण में आदेश पारित करने का अधिकार नहीं रहता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 (2) आर.आर.टी. 1047 में रिर्पोटेट निर्णय में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, इस आधार पर भी निर्णय व डिक्री जेरअपील अवैध एंव निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलाट द्वारा पेश किये गये दस्तावेज शहादत एंवम् कानूनी नजरों को एप्रीशियेट किये बिना ही निर्णय एंव डिक्री जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र कयासों के आधार पर ही भूमि पर

वादीगण का कब्जा होना मानने में त्रुटि की है। अपनी बहस के समर्थन में अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की ओर से न्यायिक दृष्टांत 1996 आर.आर.डी. पेज 6, 2021(1) आर.आर.टी. पेज 260, 1984 आर.आर.डी. पेज 821(एल.बी.), ए.आई.आर. 2014 एस.सी. पेज 3070, 2006(1) आर.आर.टी. पेज 383(एस.सी.), 2021(1) सी.जे.(सिविल) (एस.सी.) पेज 340, 2017(2) आर.आर.टी. पेज 1047(एस.सी.), 2019(2) आर.आर.टी. पेज 1354(एस.सी.), 1992 आर.आर.डी. पेज 561, 2014(1) सी.डी.आर. पेज 69(राज.), 2002 आर.आर.डी. पेज 47(एच.सी.), 1979 आर.आर.डी. 1 (एल.बी.), 2001(2) आर.आर.टी. पेज 1238, 2013(1) आर.एल.डब्ल्यु(राज.) पेज 341 प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा दावा वादीगण रेस्पो० मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे अपीलान्ट को प्रदान फरमायी जावे ।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई बहस गलत दिशा में की गई है तथा बहस विधि एवं तथ्यों के विपरीत की गई है। इनकी बहस में लिमिटेशन के बिन्दु पर जोर रहा जबकि यह यहाँ पर पोषणीय नहीं है। वादी का वाद मुख्यतः खातेदार व कब्जे काश्तकार होने के आधार पर है तथा मुख्यतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में लिमिटेशन का प्रश्न ही नहीं है। वादीगण ने सशपथ अपना कब्जा साबित किया है। वादीगण के कथनों को प्रतिवादीगण जिरह में भी नहीं काट पाए। प्रतिवादीगण ने स्वयं अपने जवाबदावे में बेचान दिनांक 09.07.1963 का कथन किया तथा उसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 कायम की। अधीनस्थ न्यायालय में तनकी संख्या 2 के हिसाब से निर्णय किया है, जो कानूनन सही है। अपीलांटगण विकय दिनांक 09.07.1963 की बजाय दिनांक 09.06.1973 बता रहे है, परन्तु प्रश्नगत रजिस्ट्री दिनांक 09.06.1973 प्रदर्श ही नहीं हुई। जो दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्श ही नहीं हुआ, उसका कोई औचित्य नहीं है। प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में अपनी प्लीडिंग में अमैंडमैंट करवा सकते थे। जब इनकी प्लीडिंग ही विकय दिनांक 09.07.1963 की थी तो अधीनस्थ न्यायालय में उसी अनुसार निर्णय किया। आज के दिन भी इनकी प्लीडिंग्स में कोई बदलाव नहीं है। अतः तनकी संख्या 2 के सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट के तर्क कानूनन सही नहीं है। जहां तक प्रतिवादी रामेश्वर की मृत्यु का प्रश्न है अपीलांटगण प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय को सूचित करते कि प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वर की मृत्यु हो गई। जब इन्होने भूमि साथ खरीदना बताया है तो प्रतिवादीगण की अधीनस्थ न्यायालय में ड्युटी थी, अपीलांटगण बताते कि रामेश्वर की मृत्यु को चुकी है। प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2041 से 2044 में विवादित भूमि मेरी खातेदारी में रही है। जहाँ तक प्रतिवादीगण के नाम विवादित भूमि का एक बार नामान्तरकरण खुलने का प्रश्न है तो यह कानून का स्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसेडिंग है तथा इससे हक अधिकार तय नहीं होते। इन्होने नामान्तरकरण का गलत तरीके से नोट लगवाया जो बाद में हटा दिया गया होगा। इस नामान्तरकरण के गलत नोट की कानून की दृष्टि में कोई अहमियत नहीं है। वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार रहा है। वादी ने खातेदार के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। विवादग्रस्त भूमि का मैं खातेदार हूँ तथा इस भूमि पर मेरा कब्जा काश्त था। वादी ने नियमानुसार माननीय अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। यदि प्रतिवादी अपीलांटगण खातेदार थे तो ये वादी रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध कोई वाद

प्रस्तुत करते परन्तु प्रतिवादीगण अपीलांटगण ने वादी के विरूद्ध अनुतोष हेतु कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया। माननीय न्यायालय ने रिसीवर प्रतिवादी के प्रार्थना–पत्र पर कायम किया क्योंकि प्रतिवादी का विवादित भूमि पर कोई कब्जा–काश्त नहीं था, अतः रिसीवर नियुक्त किया गया। प्रतिवादी ने केवल धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का निर्णय प्रस्तुत किया है। इनके तीन गवाह डी.डब्ल्यु.–, डी.डब्ल्यु.–2, डी.डब्ल्यु.–3 से भी प्रतिवादीगण का कब्जा इस भूमि पर साबित नहीं होता । जहां तक तनकी संख्या 3 का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय की फाइंडिंग सही है। चूंकि वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का था तो इसकी कोई सीमा नहीं है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कोई पक्षकार वाद तभी लाएगा जब उसके किसी के द्वारा डिस्टर्ब किया जाएगा। इसी प्रकार तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 2 की अधीनस्थ न्यायालय की फाइंडिंग नियमानुसार सही है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृ ष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। विवादित भूमि रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की भूमि है। विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्टगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित भूमि पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण के पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांटग्ण विवादित भूमि को अपने कब्जे में लेने तथा काश्त करने पर उतारू रहते है तथा इसके लिये प्रयत्न करते रहते है। अपीलांटगण को विवादित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। माननीय. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी ने अपने निर्णय दिनांक 14.08.1978 में तथाकथित विक्रय को प्रारंभ से ही शून्य माना है तथा उक्त हस्तांतरण को अवैध माना है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया हस्तांतरण विधि–विरूद्ध है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलांटगण ने कोई अपील पेश नहीं की है, जिससे उक्त निर्णय अंतिम हो गया है। उक्त निर्णय दिनांक 14. 08.1978 में विवादित भूमि को प्रतिवादीगण को बेचान नहीं होना माना है जिससे विवादित भूमि वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ही बनी रही। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने पक्ष में नहीं करवायी गई। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी भूमि वादीगण के नाम दर्ज है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने भी अपने निर्णय दिनांक 18.07.1987 में विवादित भूमि पर कभी भी प्रतिवादीगण अपीलांटगण का कब्जा होना नहीं माना है साथ ही विवादित भूमि को in medio मानते हुए तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया है। सन् 1963 में कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं हुआ तथा यदि बेचान इसके पश्चात् हुआ है तो उक्त बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में होने से प्रारंभ से शून्य है। प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा तहसीलदार सांगोद की धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत की गई कार्यवाही को उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 14.08. 1978 को खारिज करने के आधार पर तथा उसकी अपील किसी सक्षम न्यायालय में नही होने के आधार पर अपना कब्जा होना कानूनन बताया है, परन्तु माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.08.1978 में तथाकथित हस्तांतरण को प्रारंभ से ही शून्य माना है तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में हस्तांतरण होना नहीं माना है तथा उस हस्तांतरण को नहीं मानकर मूल खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त करने की प्रार्थना खारिज की गई। उक्त निर्णय दिनांक 14.08.1978 की अपील अपीलांटगण द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में आज तक नहीं की गई है जिसके कारण निर्णय दिनांक 14.08.1978

अंतिम हो गया। विवादित भूमि का प्रतिवादीगण न तो केता साबित होते है न ही तथाकथित विकय से कोई अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त होते है। तथाकथित बेचान माना भी जाए तो वह गैर कानूनी है। दिनांक 09.07.1963 का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रतिवादीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद बेदखली का नहीं होकर स्थाई निषेधाज्ञा का है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण खातेदार है तथा उनके खातेदारी अधिकार किसी सक्षम न्यायालय द्वारा समाप्त नहीं किए गए है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण अपीलांटगण के विरूद्ध तहसीलदार सांगोद द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत की गई कार्यवाही को माननीय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा सन् 1978 में खारिज कर भूमि के तथाकथित हस्तांतरण नहीं होना मानते हुए विवादित भूमि को सिवायचक घोषित करने की प्रार्थना को खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को वादीगण रेस्पोडेन्गण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करवाया है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर गैर–अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कोई हक, अधिकार उत्पन्न नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2022 विधि सम्मत है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 15 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1980 पेज 252, डी.एन.जे. 2008(2) पेज 1021 आर.एच.सी., आर.आर.टी. 2008(1) पेज 683 व 684, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 615, आर.आर.टी. 2013(2) पेज 936, आर.आर.डी. 2005 पेज 329, आर.आर.टी. 2006(2) पेज 1360, 1361, आर.आर.डी. 2007 पेज 856, आर.आर.डी. 2002 पेज 198, डी.एन.जे. 2016(रिवेन्यु) पेज 196, डब्ल्यु.एल.सी. 1999(2) पेज 611, 612 प्रस्तुत किये। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2022 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. रिबटल में अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि जब वादी ने वाद प्रस्तुत किया उस दिन नामान्तरकरण संख्या 57 से मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में आ चुका था। अतः प्रतिवादीगण अपीलांटगण वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही विवादग्रस्त भूमि के खातेदार बन चुके थे तथा मैने इस सम्बंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. पेज 621 राजस्थान सरकार बनाम नन्दा भी उद्धृत किया है। जहॉ तक रजिस्ट्री दिनांक 09.07.1973 का प्रश्न है। यह एक पब्लिक डॉक्यूमैंट है तथा अधीनस्थ न्यायालय को पब्लिक डाक्यूमैंट पर संदेह नहीं करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया तो उसे निस्तारित करना चाहिए था। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2022 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

12. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात में प्रदर्श डी–1 नकल जमाबंदी संवत् 2041–2044 की है जिसके अनुसार ग्राम चरेल तहसील सांगोद की खाता संख्या 103 की किता 3 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि खातेदार रामप्रताप s/o नन्दा कोम नायक साकिन देह दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में टिप्पणी के कॉलम संख्या 17 में नामा. संख्या 57 का नोट अंकित है जिसमें विवादित भूमि प्रतिवादीगण रामेश्वर, दुर्गाशंकर,

द्वारकीलाल, बृजराज के नाम दर्ज होने का अंकन है। Ex–02 नकल खसरा गिरदावरी 2025–2036 ग्राम चरेल की भूमि खसरा संख्या 284, 285, 201 की है। नकल फोटोप्रति विकय विलेख दिनांक 09.06.1973 जो फर्द दस्तावेज के साथ दिनांक 25.05.2009 को पेश किया गया, नकल जमाबंदी 2041–2044 खाता सं0 103, प्रदर्श–डी–2 नकल आदेश परगना अधिकारी रामगंजमण्डी दिनांक 14.08.1978, शुद्ध प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम चरेल तहसील सांगोद की है। नकल जमाबंदी संवत् 2058–2077 की है जिसके अनुसार ग्राम चरेल तहसील सांगोद की खाता संख्या 120 की कुल किता 06 कुल रकबा 2.12 हैक्टेयर भूमि खातेदार रामप्रताप पि. नन्दा जाति नायक सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल नामांतरकरण रजिस्टर ग्राम चरेल तहसील सांगोद की है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 152 की प्रविष्ठियों का अंकन है। शुद्ध प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2067–2070 की है जिसके अनुसार ग्राम चरेल की कुल किता 06 कुल रकबा 2.12 हैक्टेर भूमि भारत सिंह, जसवंत सिंह, महेन्द्र सिंह, पदम सिंह पुत्रान रूकमणी बाई, सुगना बाई, जानकी बाई, संपत बाई, तस्वीर बाई पुत्रीयां व गुलाब बाई बेवा रामप्रताप हि. 10/11 बरा. जय सिंह, अजय सिंह नाबालिग पुत्रान व केलम बाई, आजाद बाई पुत्रीयां व अयोध्या बाई बेवा पुरणमल हि. 1/11, जाति नायक सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2063–66 किता 06 कुल रकबा 2.12 रामप्रताप पिता नन्दा जाति नायक के नाम दर्ज है इसी जमाबंदी में नामा. नं. 152 दिनांक 20.06.2009 से मृतक रामप्रताप के स्थान पर भारत सिंह, जसवंत सिंह, महेन्द्र सिंह, पदम सिंह पुत्रान रूकमणी बाई, सुगना बाई, जानकी बाई, संपत बाई, तस्वीर बाई पुत्रीयां व गुलाब बाई बेवा रामप्रताप व मृतक पूरणमल के स्थान पर जय सिंह ना.बा., अजय सिंह ना.बा. पुत्रान व केलम बाई, आजाद बाई पुत्रीयां व अयोध्या बाई बेवा पुरणमल, जाति के नाम खाते दर्ज करने का अंकन है। नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 ग्राम चरेल कुल किता 06 कुल रकबा 2.12 हैक्टेर संलग्न है। नकल जमाबंदी संवत् 2058–2077 भू प्रबंध विभाग ग्राम चरेल किता 06 कुल रकबा 2.12 हैक्टेर रामप्रताप पि. नन्दा जाति नायक सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015 से 2024 की है जिसके अनुसार ग्राम चरेल की खाता संख्या 58 की किता 4 रकबा 27 बीघा भूमि नन्दा वल्द खेमा कौम नायक सा.देह दर्ज रिकॉर्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2058–77 ग्राम चरेल तहसील सांगोद का है। पी.डब्ल्यु–1 प्रताप, पी.डब्ल्यु–2 बृजगोपाल, पी.डब्ल्यु–3 रतनलाल, डी.डब्ल्यु–1 द्वारकालाल, डी.डब्ल्यु–2 रामकिशन, डी.डब्ल्यु–3 बिरधीलाल के बयान है। अपील में प्रस्तुत दस्तावेजात में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत असल कॉपी विकय पत्र दिनांक 09.06.1973, प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ दिनांक 12.09.2023 को पेश किया गया जिसे स्वीकार किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में अपील सं0 106/86 उनवान रामप्रताप बनाम प्रताप वगै0 निर्णय दिनांक 18.07.1987 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गयी है।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में कुल 3 तनकीयॉ कायम की है तथा तीनो तनकीयों पर निष्कर्ष पारित किया है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनो तनकीयों में पारित निष्कर्ष का विवेचन व विश्लेषण किया जाकर तथ्यों एवं विधि के प्रकाश में निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। तनकी संख्या 1 इस प्रकार है– "आया विवादित खसरा नम्बर 285 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा वादी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है।" जिम्मे वादी। हमने इस तनकी के सापेक्ष पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व सम्बंधित दस्तावेजों का अवलोकन। जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015 से 2024 के अनुसार विवादित

भूमि नन्दा वल्द खेमा कौम नायक सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में विवादित भूमि रामप्रताप के वारिसान रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। रामप्रताप की मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि नामान्तरकरण संख्या 152 दिनांक 20.06.2009 से रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रालवी में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2041 से 2044 में अंकित नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 57 से विवादित भूमि के खातेदार नन्दा के स्थान पर रामेश्वर वल्द भंवरलाल व दुर्गाशंकर वल्द रामप्रताप, द्वारिकालाल वल्द भीमराज व बृजराज s/o हरनारायण निवासी चरेल का नाम दर्ज होने का अंकन है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 57 की पालना होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांटगण प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज होने के संबंध में आगे का कोई दस्तावेज/जमाबंदी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई। परन्तु हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने घोषणा का नहीं अपितु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया तथा तदनुसार ही अनुतोष मांगा गया। रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा दिनांक 09.06.1973 को पंजीबद्ध विकय–पत्र से विवादित भूमि प्रतिवादीगण अपीलांटगण को विकय की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 57 से भी केतागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उभयपक्षों ने स्वयं के कब्जे काश्त के तर्क दिए है। इस तनकी में भी पंजीबद्ध विकय–पत्र दिनांक 09.06.1973 पर विवेचन होना चाहिए था क्योंकि उक्त पंजीबद्ध विकय–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में आ चुका था। विवादित भूमि पर मौके पर कब्जे–काश्त को लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत फोटोप्रति पंजीबद्ध विकय–पत्र दिनांक 09.07.1973 पर भी विवेचन व विश्लेषण के पश्चात अन्तिम रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। तनकी संख्या–2 इस प्रकार है– "आया विवादित आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विकय से खरीद कर प्रतिवादीगण इस आराजी पर सन् 1963 से उपयोग उपभोग कर रहे है।" जिम्मे प्रतिवादीगण। इस तनकी के संबंध में हमनें अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की अपील संख्या 106/86 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.1987 की फोटोप्रति तथा पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 09.06.1973, नामान्तरकरण संख्या 57 तथा अन्य सम्बंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया। उक्त विकय–पत्र दिनांक 09.06.1973 एक पंजीबद्ध दस्तावेज है जिसमें विवादित भूमि के खातेदार नन्दा वल्द खेमा के द्वारा विवादित भूमि रामेश्वर वल्द भंवरलाल व दुर्गाशंकर वल्द रामप्रताप, द्वारिकालाल वल्द भीमराज व बृजराज वल्द हरनारायण निवासी चरेल को विकय किये जाने व कब्जा सुपुर्द किये जाने का अंकन है। पंजीबद्ध विकय–पत्र दिनांक 09.06.1973 में कब्जा सुपुर्द किये जाने का अंकन है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 18.07.1987 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय ने विवादित भूमि को in medio माना है साथ ही अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि उभयपक्ष विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 के निष्कर्ष में अंकित किया है कि, "प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, नजीरों एवं उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एंव जनजाति की भूमि का सवर्ण वर्ण व्यक्ति को किया गया तथाकथित बेचान गैरकाूननी एवं प्रारंभतः शून्य है, इस प्रकरण में दिनांक 9.7.1963 को रजिस्टर्ड किए गए किसी भी दस्तावेज को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी तथाकथित रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 9.7.1963 को कय कर 1963 से ही उपयोग

उपभोग करना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उक्त दिनांक को प्रथम तो विक्रय पत्र रजिस्टर्ड होना रिकॉर्ड पर नही है तथा यदि ऐसा दस्तावेज होता तो भी धारा 42(बी) के उल्लंघन में प्रतिवादीगण को वैध हस्तांतरण नहीं माना जा सकने के कारण उसका कब्जा नहीं माना जा सकता अतः तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एंव वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।" हमारे मत में चूंकि पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1973 एक पब्लिक डॉक्युमेंट है तथा इस दस्तावेज की फोटोप्रति भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुकी थी, अतः अधीनस्थ न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। यह पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 09.06.1973 एक निर्धारित प्रकिया के तहत पक्षकारों के मध्य निष्पादित हुआ। यह पंजीबद्ध दस्तावेज वर्तमान में भी अस्तित्व में है तथा न तो इसे प्रारंभ से शून्य घोषित किया गया है तथा न ही निरस्त करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का मत है कि उनके समक्ष कोई पंजीबद्ध विक्रय–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। जबकि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 18.07.1987 में उक्त विक्रय दिनांक 09.07. 1963 को नहीं होकर 09.06.1973 को होने का अंकन किया है । इस पंजीबद्ध दस्तावेज की फोटोप्रति भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी इस पंजीबद्ध विक्रय–पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत होने का अंकन किया है। हमारे मत में पंजीबद्ध विक्रय पर दिनांक 09.06.1973 एक पब्लिक डॉक्युमेंट है जिसकी प्रमाणिकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 09.06.1973 का कोई उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तथाकथित विक्रय–पत्र दिनांक 9.7.1963 का ही उल्लेख किया है जो कभी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हुआ। हमारे समक्ष भी दिनांक 9.7.1963 का कोई विक्रय–पत्र न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 09.06.1973 में विवादित भूमि का कब्जा केता को सुपुर्द किये जाने का अंकन है। उक्त विक्रय को यदि धारा 42(बी.) का उल्लंघन माना जाए तब भी यह तो साक्ष्यों एवं सबूतों से तय करना होगा कि प्रश्नगत पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 09.06.1973 पक्षकारों के मध्य निष्पादित हुआ या नहीं? तथा हस्तगत प्रकरण पर पक्षकारों के मध्य निष्पादित इस पंजीबद्ध विक्रय पत्र का क्या प्रभाव है? यदि ऐसा हस्तांतरण हुआ है तो क्या इसमें धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस पर परीक्षण अपेक्षित है अथवा नहीं? इसका निर्धारण भी विक्रय–पत्र दिनांक 09.06.1973 पर पक्षकारों की साक्ष्य व सुनवाई किये जाने के पश्चात ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूलवाद दिनांक 25.10.1985 में प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार सांगोद संयोजित होना अंकित तथा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही भी जर्ये तहसीलदार सांगोद द्वारा परगना अधिकारी रामगंजमण्डी के यहॉ प्रस्तुत की गई। परन्तु क्या तहसीलदार स्तर से इस प्रकरण संख्या 191/76 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.1978 की अपील हुई अथवा नहीं? ऐसा तहसीलदार का कोई कथन हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–डी–2 शुद्ध प्रतिलिपी आदेश दिनांक 14.08.1978, परगना अधिकारी रामगंजमण्डी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश में विक्रय दिनांक 09.07.1963 के आधार पर विवेचन किया गया है। न्यायालय परगना अधिकारी के यहां प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में भी तहसीलदार द्वारा संभवतः विक्रय दिनांक 09.07.1963 का हवाला दिया गया। अतः यह तथ्य स्पष्ट होता है कि परगना अधिकारी रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 14.08.1978 में भी प्रश्नगत पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 09.06.1973 के तहत

हस्तांतरण को शून्य घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि यह आदेश तो तथाकथित विकय–पत्र दिनांक 09.07.1963 के आधार पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 में विवेचन किया है कि न्यायालय परगना अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 14.08. 1978 में तथाकथित हस्तांतरण को प्रारम्भ से ही शून्य माना तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस कारण भूमि हस्तांतरित नहीं मानी जा सकती तथा प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त भी नहीं माना जा सकता। हमारे मत में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश में यह स्थापित विधि का सिद्धान्त है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किसी अन्य गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया विकय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(बी) से प्रभावित है तथा विधि विरूद्ध है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में जिस पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 09.06.1973 द्वारा वादी रामप्रताप के पिता नन्दा द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि विकय करने तथा कब्जा–काश्त सुपुर्द करने का अंकन है, इस परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 2 में साक्ष्यों सबूतों के पश्चात् अंतिम रूप से प्रकरण पर क्या प्रभाव होगा? इसका विनिश्चय किया जाना आवश्यक है ताकि प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो सके। हमारे मत में तनकी संख्या 1 व तनकी संख्या 2 का निस्तारण भी पंजीबद्ध विकय–पत्र दिनांक 09.06.1973 के प्रकाश में भी किया जाना उचित है ताकि प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो सके। पंजीबद्ध विकय–पत्र दिनांक 09.06. 1973 अस्तित्व में है तथा इसका निस्तारण हस्तगत प्रकरण के अंतिम निस्तारण हेतु आवश्यक है। इसी प्रकार वाद में प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में संयोजित रामेश्वर की मृत्यु दिनांक 25.10.2011 को होने का तथ्य प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 15.11.2016 से प्रतीत होता है कि पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त होने पर पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए। इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 13.11.2017 पर अंकित है कि प्रतिवादी कम 2, 3, 5 व 6 की ओर से श्री ओमप्रकाश शर्मा adv का वकालतनामा पेश हुआ। परन्तु वादी अथवा प्रतिवादी किसी भी पक्ष ने प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वर की मृत्यु की सूचना अधीनस्थ न्यायालय में नहीं दी। अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया तथा पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से लौटने पर न तो प्रतिवादी संख्या 4 की अनुपस्थिति अंकित की तथा न ही प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। इस कारण प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वर की सुनवाई के सम्बंध में प्रश्न उत्पन्न हुआ है। नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वर को अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वर की मृत्यु पूर्व में ही दिनांक 25.10.2011 को होना बताया गया है तथा रेस्पोडेन्टगण ने इसका कोई खण्डन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में रामेश्वर की अनुपस्थिति सन् 2017 में संभव भी नहीं थी। परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 के कोई कायम मुकाम भी अधीनस्थ न्यायालय में नहीं बनाए गए। हम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017(2) आर.आर.टी. पेज 1047 माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकाश में उनके इस तर्क से सहमत है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय अकृत(nullity) श्रेणी में आता है। चूंकि विवादित भूमि संयुक्त रूप से पंजीबद्ध विकय–पत्र दिनांक 09.06.1973 रामेश्वर व अन्य द्वारा कय की गई थी ऐसी स्थिति में रामेश्वर की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। यह तथ्य है कि हस्तगत निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2022 प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वर के विरूद्ध उसकी मृत्यु के पश्चात जारी की गई है। चूंकि भूमि संयुक्त रूप से पंजीबद्ध विकय–पत्र से कय की गई थी, अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर रामेश्वर के वारिसान

अपीलांट संख्या 7, 8, 9, 10 को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित होगा। यहॉ एक अन्य तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि न्यायालय परगना अधिकारी रामगंजमण्डी के धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सम्बंध में निर्णय दिनांक 14.08.1978 को वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा अंतिम बताया गया है। परन्तु हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत किया गया था परन्तु तहसीलदार सांगोद का ऐसा कोई कथन नहीं है कि इस निर्णय दिनांक 14.08.1978 की कोई अपील हुई अथवा नहीं? तथा उनका मत क्या है? हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को इस सम्बंध में सम्बंन्धित तहसीलदार से जवाब प्राप्त कर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अतः उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि हमारे समक्ष प्रस्तुत मूलप्रति पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 09.06.1973 को अधीनस्थ न्यायालय रिकॉर्ड पर ले तथा इसके प्रकाश मे तनकीवार निर्णय पारित करें।

14. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के प्रकरण संख्या 12/1997 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2022 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1973 को रिकॉर्ड पर लेवें तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वर के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर यथासंभव पत्रावली प्राप्ति के 6 माह के भीतर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.11.2023 को उपस्थित रहें।

15. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा